

Attachement 2.3

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

परियोजना का नाम नारायणबगड़-किमोली मोटर मार्ग के किमी0 8 से नैणी मल्ली, मुसाउड्यार-बूंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.394 हे0 आरक्षित, 0.952 हे0 सिविल, कुल 4.346 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आज दिनांक 18/08/2018 को लोक निर्माण विभाग के द्वारा नारायणबगड़-किमोली मोटर मार्ग के किमी0 8 से नैणी मल्ली, मुसाउड्यार-बूंगा मोटर मार्ग हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से वन दरोगा नारायणबगड़, राजस्व विभाग की ओर से श्री अरविन्द कुंवर, राजस्व उपनिरीक्षक पन्ती, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री नन्दन कुमार, सहायक अभियन्ता, श्री प्रसून नौटियाल, कनिष्ठ अभियन्ता, अन्य दावेदारों की ओर से क्षेत्रपंचायत सदस्य तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में ग्राम प्रधान किमोली, बूंगा, नैणी के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनों के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 1063 (मी0) नाप भूमि से, 974 (मी0) सिविल भूमि से, 3963 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 0.957 हे0 नाप भूमि, 0.952 हे0 सिविल, 3.394 हे0 आरक्षित, वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.346 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 278 वृक्ष चीड़, बेड़ू, खड़ीक, मेहल, पदम, प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखन के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखन देखे गये उसमें 500 मी0 नाप भूमि, 1500 मी0 सिविल वन भूमि, 4000 मी0 आरक्षित वन भूमि, प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 0.450 हे0 नाप भूमि, 1.050 हे0 सिविल, 2.800 हे0 आरक्षित, 2.800 वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.740 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 1180 वृक्ष चीड़, बेड़ू, खड़ीक, मेहल, पदम, प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 20 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन है एवं इन कक्षों में प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि पर प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा वन पंचायत भूमि पर प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का जी०पी०एस० मान 30 7' 16.15" उ०, 79 21' 6.52" पू० है तथा यह स्थल नैणी तल्ली से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल पटोड़ी है जिसका जी०पी०एस० मान 30 7' 24.25" उ०, 79 20' 25.88" पू० है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के जी०पी०एस० मान 30 7' 21.9" उ०, 79 20' 43.1" पू०, 30 7' 20.13" उ०, 79 20' 40.49" पू० हैं।

चयनित समरेखन में शून्य पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

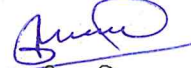
चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखण पर उक्त परियोजना के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु किमी० 1,2,4 में स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका जी०पी०एस० मान 30 7' 5.55" उ०, 79 20' 53.1" पू० / 30 7' 10.06" उ०, 79 20' 54.06" / 30 7' 12.15" उ०, 79 20' 36.92" हैं।


खण्डाय अभियन्ता


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
थराली, (चमोली)


राजेश सपनिरीक्षक


तहसीलदार
तहसीलदार
कटली


उपजिलाधिकारी
उप जिला अधिकारी
थराली (चमोली)

जिलाधिकारी


वन क्षेत्राधिकारी
(वन विभाग प्रतिनिधि)
नारायणगढ़


प्रस्ताविका
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
प्रभागीय वन अधिकारी
(चमोली)